रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 20 जनवरी, 2003/30 पौष, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय नगर परिषद् पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

पालमपुर, 31 दिसम्बर, 2002

संख्या न0 प0 पालमपुर/815-818.—नगरपालिका परिषद् पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पत्र सं0 यू0 एल0 बी0 एच0 (ए0) (3) 23/87-11-14421, दिनांक 12-9-2001 का अनुकरण करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 202(इ0)(1)(iii) जो कि धारा 214 के साथ पढ़ी जाए तथा जैसे कि धारा 217 में वांछनीय है, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है । नगरपालिका परिषद् पालमपुर क्षेत्र में सहर्ष अधिसूचित करती है । ये उप-विधियां हिमाचल प्रदेश असाधारण राजपत्र में सर्वसाधारण की सूचना हेतु राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित की जाती हैं । ये उप-विधियां नगर परिषद् पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र मे अधिसूचना असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होगी ।

उप-विधियां

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका परिषद् पालमपुर अनुज्ञप्ति फीस (दुकान, उद्योग या अस्थाई मेला-दुकान) उप-विधि 2002 है ।

(ii) ये उप-विधियां शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगी ।

3438-राजपत्र/2003-20-1-2003—1,582. मूल्य : 1 रुपया

मूल्य : 1 रुपया

2. परिभाषाएं, इन उप-विधियों में जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(i) अधि-नियम से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है ।

(ii) "कार्यकारी अधिकारी" से अधिनियम की धारा 305 के अधीन नगरपरिषद् से सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए अभिप्रेत है ।

(iii) "नगरपालिका परिषद्" से नगरपालिका परिषद् पालमपुर अभिप्रेत है ।

(iv) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. खाद्य और अन्य वस्तुओं का विक्रय.—किसी भी व्यक्ति को नगरपालिका परिषद् से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना खाद्य वस्तुएं बेचने या कोई अन्य कारोबार चलाने की अनुमति नहीं होगी ।

4. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.—(क) कोई व्यक्ति जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर खाद्य वस्तुओं का व्योहार या कारोबार करना चाहता है उसे अनुज्ञप्ति के लिए नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी के पास ज्युडिशियल पेपर पर आवेदन करना होगा ।

(ख) अनुज्ञप्ति फीस निम्न प्रकार से होगी:—

1.	होटल/रैस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस/सिनेमा हाल	300.00	रुपये वार्षिक
2.	सभी प्रकार के थोक विक्रेता/ कमीशन ऐजैन्ट/ ढाबा वगैरा ।	100.00	,,
3.	सभी प्रकार की छोटी दुकानें	50.00	,,
4.	फल तथा सब्जी की दुकानें	300.00	,,
5.	रेहड़ी/फड़ी वाले	100.00	,,
6.	पैट्रोल पम्प/गैस एजैन्सी	500.00	,,

5. अनुज्ञप्ति के लिए निबन्धन और शर्तें.—अनुज्ञप्ति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक विधिमान्य होगी और आगामी वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति का अवसान से पूर्व नवीकरण करवाना होगा ऐसा न करने पर इसका नवीकरण 20.00 रुपये प्रतिदिन के साथ किया जाएगा ।

6. अनुज्ञापन अधिकारी.--अनुज्ञप्ति के जारी करने नवीकरण और रद्दकरण के प्रयोजन के लिए नगरपालिका का कार्यकारी अधिकारी अनुज्ञापन अधिकारी होगा ।

7. निरीक्षण अधिकारी.--कार्यकारी अधिकारी या नगरपालिका द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के भीतर किसी युक्ति-युक्त समय में किसी भी दुकान का निरीक्षण कर सकेगा, यदि वह अनुज्ञप्ति धारी के कब्जे से मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त कोई खाद्य या अन्य वस्तुओं को पाता है, तो वह अधिनियम की धारा 225 के अधीन ऐसी वस्तुओं को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा । उस अनुज्ञप्ति धारी की अनुज्ञप्ति, जिसके कब्जे में मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त खाद्य और अन्य वस्तुएं पाई जाती है, रद्द की जा सकेंगी ।

8. कर्मचारियों (नौकरों की नियुक्ति) होटलों या दुकानों आदि में.—जहां खाद्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं, में श्रमिकों या खान-पान प्रबन्धकों की नियुक्ति क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी की शिफारिश पर की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को ऐसे चिकित्सा अधिकारी से प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा ।

9. अनुज्ञप्ति का अन्तरण वर्जित.—उप-विधि 6 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञप्ति किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को अन्तरणीय नहीं होगी । अनुज्ञप्ति धारी यदि ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन कारोबार बन्द करना चाहता है तो उसे कारोबार बन्द करने के आशय से एक मास पूर्व नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी को अपनी अनुज्ञप्ति को रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा ।

10. उप-विधियों के भंग के लिए शास्ति.—इन उप-विधियों में से किसी भी उप-विधी का भंग, जुर्माने से 200.00 रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, और भंग जारी रहने की दशा में प्रथम दिन जिसके पश्चात् भंग जारी रहता है, के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जो 10.00 रुपये होगा, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
पालमपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL PALAMPUR DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Palampur, the 31st December, 2002

No. 815-18/MCP/GB/2002.—In pursuance of letter No. ULB-H(A) (3) 23/87-11-14421 the Municipal Council, Palampur, District Kangra H. P. is pleased to notify the following bye-laws made under section 202 (*e*) (*i*) (*iii*) read with section 214 of H. P. Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) having been vested by the State Govt. as required under section 217 of the above said Act, and hereby published for general information and shall come into force within the limits of Municipal Council Palampur, in Distt. Kangra, Himachal Pradesh from the date of publication of notification in the H. P Rajpatra, namely:—

1. *Short title and commencement*,—(*i*) These bye-laws may be called the Himachal Pradesh Municipal Council, Palampur, License Fee (Shops, Industry or Temporary Fair Shops) Bye-laws-2002.

(*ii*) These bye-laws shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. *Definitions*.—In these bye-laws unless the context otherwise requires:—

(*i*) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

(*ii*) "Executive Officer" means person by whatever name called appointed under section 305 of the Act to dischcharge the functions of Executive Officer in relation to Municipal Council ; and

(*iii*) "Municipal Council" means the Municipal Council, Palampur.

(*iv*) "Section" means the section of the Act.

3. *Sale of Edibles and other things.*—No person shall be allowed to sell edible things or run other business without obtaining a licence from the Municipal Council.

4. *Procedure of Obtaining Licence.*—(*a*) A person who wants to deal in edible things or to run any other business within the areas of the Municipal Council shall apply for licence on judicial paper to the Executive Officer of the Municipal Council.

(*b*) The Licence Fee shall as under :—

1.	Hotel/Rest House/Guest House/Cinema Hall	Rs. 300.00	Per Annum
2.	All kinds of general wholesale Merchant/ Commission agent/Dhaba.	Rs. 100.00	-do-
3.	All kinds of small shopkeepers (Retailers)	Rs. 50.00	-do-
4.	All kinds of Fruits and Vegetable seller	Rs. 300.00	-do-
5.	Rahri/Phari wale shopkeeper/Hawkers	Rs. 100.00	-do-
6.	Petrol Pump/Gas Agencies	Rs. 500.00	-do-

5. *Terms and Conditions of Licence.*—Licence shall be valid upto March 31st Every Year and it shall be renewed for the ensuring year before the expiry of validity period, failing which the same shall be renewed with fine of Rs. 20.00 for each day.

6. *Licencing Authority.*—The Executive Officer of the Municipal Council shall be the Licencing Authority for the purpose of issuing/renewal and cancellation of licence.

7. *Inspecting Officer.*—The Executive Officer or any other person so authorised by the Municipal Council in the behalf may inspect any shop within the Municipal Council area at any reasonable time. In case he finds a licence in possession of any edible/other things unfit for human consumption, he may order under section 225 of the Act, for destroy of such things. The licence of a licencee, found in possession of edible or other things unfit for human consumption shall also be liable to be cancelled.

8. *Appointments of Servants.*—The labourers or the caterers in the shop on the hotels etc. where edible things are prepared may be appointed on the recommendatoins of the Medical Officer of the area and such person shall have to produce a certificate of fitness of health from such Medical Officer every year.

9. *Transfer of licence barred.*—Licence issued under bye-laws be shall not be transferable to any person in any case. The licencee shall have to apply to the Executive Officer for the cancellation of his licence, if he desires to wind up his business under such licence at least one month before such winding up.

10. *Penalty for breech of Bye-laws.*—Any breach of these bye-laws shall be punishable with a fine which may extend to Rs. 200.00 and when the breach is a continuing one, with a further fine which shall be Rs. 10.00 for each day after the first during which it continue.

Note.—Authoritative English text of this notification as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.

By order,

Sd-
Executive Officer,
Municipal Council,
Palampur (Kangra).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित